सराहनीय कार्य, जालौन पुलिस

दिनांक –09.09.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियो को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुये कुल 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान0 न्यायालय द्वारा अधिक से अधिक सजा व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण प्रथम – अभियुक्त 1- अविनाश उर्फ नीतू शर्मा पुत्र मुरारीलाल निवासी ग्राम कुरचौली थाना नदीगांव द्वारा मुकदमा वादी श्री सतीश शर्मा पुत्र श्री मुरारीलाल शर्मा निवासी ग्राम कुरचौली थाना नदीगांव जनपद जालौन की पत्नी की हत्या कारित करने की घटना में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नदीगांव में मु0अ0सं0 06/23 धारा 302/201 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये आज दिनांक 09.09.2024 को मा0 न्यायालय एडीजे कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त अविनाश उपरोक्त को दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 53,000/-- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

माननीय न्यायालय द्वारा आरोप विचारण के बाद अभियुक्त को (करीब 01 वर्ष 09 माह) में दण्डित किया गया।